कार्यालय कलेक्टर जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति गरियाबंद (छ.ग.)

क्रमांक/1011/एकलव्य/आदि.वि./2024–25 गरियाबंद, दिनांक 11/6/2024

कमार आवासीय विद्यालय केशोडार हेतु अतिथि शिक्षकों (Guest Teacher) की व्यवस्था हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु प्रेस विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर छ.ग. के अंतर्गत जिला गरियाबंद में संचालित कमार आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु अस्थाई रूप से मानदेय पर अध्यापन कार्य हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑफलाईन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे है।

विज्ञापन का विस्तृत विवरण जिले के वेबसाईट gariaband.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

आवेदन करने संबंधी महत्तपूर्ण तिथियाँ

क्र.	विवरण	आवेदन करने की अंतिम तिथि
1	आवेदन करने की अंतिम तिथि	21 जून 2024

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित।

प्रभारी अधिकारी/सदस्य सचिव
जिला स्तरीय आदिम जाति कलयाण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
जिला गरियाबंद छ.ग.

पृ. क्रमांक/1012/आदि.वि./एकलव्य/2024 गरियाबंद, दिनांक 11/6/2024

प्रतिलिपि :–

1 आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2 जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला गरियाबंद की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि कृपया स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करें।

3 जिला सूचना अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) गरियाबंद को सूचनार्थ। कृपया गरियाबंद जिले के वेबसाईट में अपलोड करे।।

प्रभारी अधिकारी/सदस्य सचिव
जिला स्तरीय आदिम जाति कलयाण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला
गरियाबंद छ.ग.

कार्यालय कलेक्टर जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति गरियाबंद (छ.ग.)

क्रमांक/1012-A/एकलव्य/आदि.वि./2024–25

गरियाबंद, दिनांक 11/6/2024

जिला स्तरीय समिति गरियाबंद के अधीन संचालित कमार अवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हेतु मार्गदर्श सूचना प्रारूप

छ.ग. राज्य राज्य आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर द्वारा जिला गरियाबंद में जिला स्तरीय समिति के अधीन संचालित कमार अवासीय विद्यालयो हेतु शिक्षकों की पूर्ति हेतु अस्थाई रूप से सी.जी. पैटर्न पर शाला संचालन हेतु शिक्षकों से ''प्रतिकालखण्ड'' आधार पर 'अतिथि शिक्षक' (Guest Teacher) लिया जाना है।

1. इस हेतु संस्थावार कुल विषयवार रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:–

क्र.	स्तर	विषय	कुल पदों की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक योग्ता
1	2	3	4	5
1	पी.आर.टी. (प्राथमिक स्तर)	गणित/विज्ञान	1	1.मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50प्रतिशित अंको से साथ स्नातक उपाधि। 2. मान्यता प्राप्त वि.विद्यालय से बी.एड. की उपाधि। 3.रोजागर कार्यालय का जीवित पंजीयन। 4.न्यूनतम 23 वर्ष अधिकतम आयु 35 वर्ष। 5. जिले का मूल निवासी होना चाहिए।
2		सा.विज्ञान	1	
3		हिन्दी	1	
	टी.जी.टी. (माध्यमिक स्तर)	विज्ञान	1	1.मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50प्रतिशित अंको से साथ स्नातक उपाधि। 2. मान्यता प्राप्त वि.विद्यालय से बी.एड. की उपाधि। 3.रोजागर कार्यालय का जीवित पंजीयन। 4.न्यूनतम 23 वर्ष अधिकतम आयु 35 वर्ष। 5. जिले का मूल निवासी होना चाहिए।
4		गणित	1	
5		सा.विज्ञान	1	
6		शारिरिक शिक्षा	1	1. मान्यता प्राप्त वि.विद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि। 2.रोजागर कार्यालय का जीवित पंजीयन। 3.न्यूनतम 23 वर्ष अधिकतम आयु 35 वर्ष। 4. जिले का मूल निवासी होना चाहिए।

2 **पारिश्रमिक :–**

क्र.	पदनाम	प्रतिकाल खण्ड	कालखण्ड
1	टी.जी.टी.	200/–	न्यूनतम कालखण्ड 05 एवं अधिकतम काल खण्ड 06 होगा
2	पी.आर.टी./पी.टी.आई./संगीत शिक्षक	150/–	

फ्रेश अभ्यर्थियो हेतु:'–

1 अतिथि शिक्षकों की सेवाऐं बिना कोई कारण बताए किसी भी समय केवल 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकती है।

3 अतिथि शिक्षकों के कार्य के घंटे नियमित शिक्षकों के समान होंगें। अतिथि शिक्षकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियॉं नियमित शिक्षक/पदधारी के समान होंगी। नियमित कक्षा गतिविधि, प्रतिलिपि सुधार, निरीक्षण कर्तव्य, मूल्यांकन कर्तव्य, छात्रों को विभिन्न साहित्यिक, सह पाठ्यचार्य , खेल गतिविधि अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यकमों के लिए नामांकन, प्राचार्य द्वारा सौंपे गये कर्तव्यों आदि शामिल होंगे।

4 अतिथि शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराया जा सकता है यदि उपलब्ध हो (व्यक्तिगत/साझा करने के आधार पर) निः शुल्क जो उन्हें अनुबंध समाप्त होने के 7 दिनों के भीतर खाली करना होगा।

6 अतिथ शिक्षक का नियुक्ति केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए वैध रहेगा। हालांकि, अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में या अतिथि शिक्षक के संतोषजनक प्रदर्शन के साथ अतिथि शिक्षक के नियुक्त की वैघता को अगले शैक्षणिक वर्ष के जिला स्तरीय समिति के पूर्व अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कमार विद्यालय में मौजूद रहेगा। अतिथि शिक्षक के साथ एक नए अनुबंध में प्रवेश करें बशर्ते कि रिक्ति अभी भी मौजूद हो।

आवेदन करने हेतु सामान्य निर्देशः–

1 पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। राज्य/जिला स्तरीय समिति को अधिकार होगा कि वह विज्ञापन को किसी भी समय बिना सूचना के निरस्त कर सकता है या रिक्त पदों मे से पूरे या आंशिक रूप से भर्ती कर सकता है। समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह विज्ञापन की प्रकिया व शर्तो को आवश्यकता होने पर बिना किसी सूचना के संशोधन या परिवर्तन कर सकता है।

2 आवेदन पत्र में अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी मूल अभिलेखों त्रुटि पाये जाने पर आवेदन बिना सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।

3 विज्ञापन से संबधित किसी भी प्रकार संशोधन/सूचना गरियाबंद जिले के वेबसाईट gariaband.gov.in पर अपलोड कर सूचित किया जावेगा। किसी भी प्रकार की सूचना डाक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

4 किसी प्रकार की सिफारिश पाये जाने पर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जावेगी।

5 इस भर्ती के संबंध में किसी भी प्रकार का न्यायालीयन क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य होगा।

अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की प्रकियाः–

1 विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाईन स्वीकार किया जावेगा, गरियाबंद जिले के वेबसाईट gariaband.gov.in पर उपलब्ध हैं अभ्यर्थी संस्थावार रिक्त पदों के लिए पृथक–पृथक ऑफलाईन आवेदन कर सकता है।

2 भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि मूल अभिलेख से मिलान कर स्व–प्रमाणित होना चाहिए।

3 निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्व–प्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद बडे लिफाफा में सील बंद कर कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास गरियाबंद कलेक्ट्रेट परिसर कक्ष क्रमांक 56 में रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाये। भेजे जाने वाले लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श अवासीय विद्यालयो के लिए अतिथि शिक्षक/अधीक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023–24 लिखा जाना अनिवार्य होगा।

आवेदन करने संबंधी महत्तपूर्ण तिथियाँ

क्र.	विवरण	आवेदन करने की अंतिम तिथि
1	आवेदन करने की अंतिम तिथि	21 जून 2024

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित।

प्रभारी अधिकारी/सदस्य सचिव
जिला स्तरीय आदिम जाति कलयाण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
जिला गरियाबंद छ.ग.